


04/12/19

दोनों पक्षों के वकील उपस्थित। विवाही कर्तव्य  
जबल पक्षा करेन उस समय चलनेही (पक्षी)  
वस्तु जबल दिनांक 11/02/19 को पक्षा (पक्षी)

  
सहायक कलेक्टर  
(SDO) सिवाना


11/12/19

~~आन पत्रावली देना हुन। आन का हेतु निम्न  
द्वारा न्यायिक कार्य का अंतिमता गवाहण में  
पत्रावली से वन पत्रावली दिनांक 15/12/19  
को चलायी।~~



18/12/19

दोनों पक्षों के वकील उपस्थित। मूल  
वाद में प्राची द्वारा वादा कथन अनुचित  
प्रदान किये जाने के इत्त प्रार्थना पत्र  
में इतल छेडे अनुचित कथन नही रहेन  
के इत्त प्रार्थना पत्र ही खारिज किया  
जाताहे पत्रावली कथल सुमार लेकर  
मूल वाद के साध नली

  
सहायक कलेक्टर  
(SDO) सिवाना

